

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का )

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक नं. 1266

तारीख 23.9.13 से 3.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल- बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार 212थी ल रपरिष एवं वर्ष 13-14

1266  
9013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
23.9.13	<p>श्री/श्रीमति <u>शिवली सिंह</u> पिता/पति <u>श. राम लाल सिंह</u> ग्राम <u>केहना कुर्जा</u> थाना <u>काठ</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/कस्तीशनामा <u>बँटवाय/विनियम/उत्तराधिकारी</u> द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर भ्रजॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें। अभिलेख दिनांक <u>26.9.13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p><b>जमीन का विवरण</b> ग्राम/थाना नं० <u>केहना कुर्जा</u> खाता नं० <u>84</u> <u>70</u> <u>856</u> खेसरा रकबा <u>01.3125 6</u></p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p>	
26.9.13	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वखशीसनामा  
बैटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम  
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 01.10.13  
को उपस्थापित करें।

26/10/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़

01.10.13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा  
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 03.10.13  
को उपस्थापित करें।

11/10/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़

3.10.13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की  
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

23/10/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़